

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.09.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-06 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामदीन पुत्र राजकरन नि0 ग्राम तिलई पुरवा मौजा बालपुर जाट थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-334/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बच्चाराम पुत्र बेनी प्रसाद नि0 ग्राम मुंशीरपुरवा चौदहा मेटुकहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-302/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भारत पुत्र स्व0 गयाप्रसाद सोनकर नि0 खटिकन पुरवा मौजा सीहागांव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-210/21, 02. रामनिवास पुत्र स्व0 राममनोरथ नि0 ग्राम परशुरामपुर मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-211/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन कुमार उर्फ शिवा पुत्र स्व0 चेताराम नि0 ऊँचे पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-278/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. महाराज वली पुत्र लक्ष्मण चौहान नि0 ग्राम पिपरा चौबे लोनियन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-224/21, 02. अर्जुन पुत्र गुरुदीन नि0 ग्राम रमनगरा मौजा पिरवरतारा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-225/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 06. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ऋषिकेश पुत्र रामधन नि0 उपाध्यायनपुरवा डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-297/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 03.09.2021**

**अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त हनुमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. हनुमान पुत्र छोटकऊ नि० सइहापुर मौजा सराय जर्गर थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-212/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ०नि० भोलाशंकर मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 03.09.2021**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त सुधीर कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 अल्प्रोजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. सुधीर कुमार यादव पुत्र राम किशोर यादव नि० ग्राम गनेश नगर कटहाघाट रोड थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-685/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. अल्प्रोजोलम की 40 टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० धर्मराज मय टीम।